महत्वपूर्ण / आवश्यक
संख्या– 328 / एक–11–2021

प्रेषक,

राम केवल
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 **लखनऊ : दिनांक :04 मई, 2021**

विषयः– कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी किए जाने वाले ई–पास हेतु जनपदों द्वारा नामित नोडल अधिकारियों की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में राजस्व–11 के शासनादेश संख्या–326 / एक–11–2021, दिनांक 03.05.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु आनलाइन ई–पास जारी करने के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा कोविड–19 की द्वितीय लहर के कारण घोषित लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु जारी किए जाने वाले ई–पास हेतु नामित नोडल अधिकारियों की सूचना राहत आयुक्त कार्यालय के ई–मेल rahat@nic.in पर दिनांक–05–05–2021 तक उपलब्ध कराते हुए गूगल–शीट पर फीड कराने का कष्ट करें। गूगल–शीट का लिंक निम्नवत् है–

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fdYynzUJ0V0QU5IctA6PSmT7kC6bhaWUMTTESg4Yzn8/edit?usp=sharing

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या– (1) / एक–11–2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
2. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम केवल)
विशेष सचिव।

GO-R-11-D/2021-74